



आदेश  
कार्ड नं०  
दिप्पणी ता  
3

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिप्पणी तारीख सहित
2	3
<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>श्री राजेन्द्र पासवान, पिता स्व० कमल किशोर पासवान, ग्राम-ओकनी वार्ड नं०-05, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुइहुइ, थाना नं०-147, खाता संख्या-70, प्लॉट संख्या-718, रकवा 1.50 डी० भूमि मालती कुमारी, पति राजू पासवान, ग्राम-हुइहुइ, वार्ड नं०-32, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-197/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2471/रा० दिनांक 04.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 652 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत भैया भान प्रकाश वकील हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 9.41 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 04 डी० भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-18/XII पर लक्ष्मी देवी के नाम से जमाबंदी है एवं लगान रसीद 2021-22 तक निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदक की पत्नी है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 2.50 डी० भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्री राजेन्द्र पासवान, पिता</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	2	
	<p>स्व0 कमल किशोर पासवान, ग्राम-ओकनी वार्ड नं0-05, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुइहुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-70, प्लॉट संख्या-718, रकवा 1.50 डी0 भूमि मालती कुमारी, पति राजू पासवान, ग्राम-हुइहुडु, वार्ड नं0-32, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	<p>प्रिचक.</p> <p>सेवा नं.</p>